

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

धनबाद नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 132 (3) क अन्तर्गत स्वनिर्धारित किया गये सम्पत्ती कर की सूचना

Memo No. : 161780210220022145

Date : 21-02-2020

वर्षावधि : 2 2019-2020

श्री. शोभता/सुश्री KHUSHBU KUMARI C/O SUNIL KUMAR CHOUDHARY,

पता BHEL ATAND NAG NAGAR DHANBAD DHANBAD - 9060832222

पिन कोड : 826001

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह नं. - 0220003446000M0 वर्ड सं. 22 हुआ है आपके स्वनिर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।

अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount -(in Rs.)
	आधार	67.00
	अनुपात	0.00
	अतिरिक्त कर	0.00
	किराये का	0.00
	अतिरिक्त गृह कर	0.00
	उपरोक्त कर संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		



\_\_\_\_\_

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर उपलब्ध है।

2. धनबाद नगरपालिका अधिनियम 1974 के अलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।

3. निर्धारण की जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना तथा कर निर्धारण को सूचित कर तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पावे।

4. प्रत्येक वर्षा जल संरक्षण संरचना को सुरक्षित रखना आवश्यक है।

5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पत्ति कर का भुगतान विस्तृत वर्ष के 30 अंश के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की छूट मिलेगी।

6. किसी दाय प्रति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।

7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।

8. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संवहित इस सम्पत्ति कर इन इतरतों/दायों को कोई कानूनी वैधियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मामलों / टाकलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

9. अगर आपका नया होल्डिंग नम्बर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature

*Khushbu Kumari*